प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 136/1996

विनोद

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय हेतु विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश:

मैं सहमत हूँ

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

दिनांक 13/09/2011 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें

सही/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 136/1996

अपीलार्थी विनोद, पिता राधिका यादव, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी गांधी नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश) (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थित: श्री उत्तम पांडेय, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

निर्णय

(दिनांक 13.09.2011)

<u>न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा द्वारा प्रदत्त:</u>

यह अपील द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 274/1991 में पारित दिनांक 17 जनवरी, 1996 के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी विनोद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:

दिनांक 05.06.1991 को लगभग मृतक सुकालुराम दोपहर 1:15 बजे, भिकमलाल सोनी के घर से वापस आ रहा था। जब वह शास्त्री चौक के पास पहुँचा, तब अपीलार्थी विनोद तथा दोषमुक्त किए गए सह-अभियुक्तगण, अर्थात् कुलजीत सिंह और रामबचन, ने उसे रोक लिया। अपीलार्थी विनोद ने शराब पीने के लिए मृतक से पैसे की मांग की। मृतक द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर, अपीलार्थी ने चाकू से मृतक के सीने पर वार किया और वहाँ से भाग गया। मृतक सुकालू राम ने घटना की जानकारी भिकमलाल सोनी को दी और तत्पश्चात दोनों पुलिस थाना छावनी, भिलाई जाकर प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-18) दर्ज कराई। सुकालू राम को उपचार हेतु जिला अस्पताल, दुर्ग भेजा गया, जहाँ से उसे सेक्टर-9, मुख्य अस्पताल, भिलाई रेफर किया गया। उसी दिन लगभग शाम 7:00 बजे, उपचार के दौरान, उसे लगी चोटों के कारण सुकालू राम की मृत्यु हो गई। विवेचना अधिकारी अस्पताल पहुँचें, पंचों को सूचना (प्र.पी.-16) दी और मृतक के शव का पंचनामा (प्र.पी.-17) तैयार किया। मृतक के शव को शव परीक्षण हेतु जिला अस्पताल, दुर्ग भेजा गया। शव परीक्षण डॉ. आर.एन. पाण्डेय (अभि.सा.-1) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपना प्रतिवेदन प्र.पी.-4 के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने दायीं ओर छाती में, वक्ष के स्तर पर, कटे हुए घाव पाए। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक की राय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण अंगों पर लगी चोटों के परिणामस्वरूप उत्पन्न आघात एवं अत्यधिक रक्तस्राव था। विवेचना के दौरान में रक्तरंजित मिट्टी एवं साधारण मिट्टी जब्त की गई। अपीलार्थी की निशानदेही के आधार पर चाकू एवं अपीलार्थी के कपड़े जप्त किए गए, जिसकी जब्ती पत्रक प्र.पी.-13 है। मृतक की शर्ट को प्र.पी.-5 के तहत जब्त किया गया तथा घटना स्थल से साइकिल एवं रुमाल को प्र.पी.-7 के तहत जब्त किया गया। पटवारी दिलीप चंद्रिकापुरी (अभि.सा.-4) द्वारा स्थल नक्शा (प्र.पी.-6) तैयार किया गया। नायब तहसीलदार सी.आर. नेताम (अभि.सा.-7) द्वारा पहचान कार्यवाही आयोजित की गई और पहचान कार्यवाही ज्ञापन प्र.पी.-9 तैयार किया गया। पहचान कार्यवाही में अपीलार्थी की पहचान फकीरा राम यादव (अभि.सा.-5) द्वारा की गई।

3. विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, अपीलार्थी तथा सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्जित किया गया। स्थानांतरण के पश्चात यह प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय में प्राप्त हुआ, जहाँ विचारण किया गया। विचारण उपरांत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा उपर्युक्तानुसार अपीलार्थी को सिद्धदोष करते हुए दंडित किया गया तथा सह-अभियुक्तगण कुलजीत सिंह एवं रामबचन को उनके विरुद्ध आरोपित अपराधों से दोषमुक्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तम पांडे ने तर्क दिया है कि फकीरा राम यादव (अ.सा.-5) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। वह अपीलार्थी से परिचित नहीं था और यहाँ तक कि उसे अपीलार्थी का नाम भी मालूम नहीं था। वह एकमात्र प्रत्यक्ष साक्षी है और उसका साक्ष्य विरोधाभासों से भरा हुआ है तथा चिकित्सीय साक्ष्य के विपरीत है।

इसलिए, उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और केवल उसके साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।"

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और यह निवेदन किया है कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रदान की गई दोषसिद्धि और अधिरोपित दण्डादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और हमने आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ सत्र न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया। अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि फकीरा राम यादव (अभि.सा-5) की एकमात्र अभिकथन पर आधारित है, जिसने घटना का साक्ष्य देखा था। वह एक स्वतंत्र साक्षी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. फकीरा राम यादव (अभि.सा-5) ने अभिकथन किया कि घटना के दिन वह दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे के बीच अपने घर में आराम कर रहे थे। सहदेव की पान की दुकान से अपशब्द सुनकर वह अपने घर से बाहर आए। अभियुक्त रामबचन, विनोद और कुलजीत पान की दुकान के पास खड़े थे। विनोद गाली दे रहा था। इसी समय, सुकालू राम गयाराम सोनी के घर से आ रहा था। अपीलार्थी विनोद ने मृतक का कॉलर पकड़ लिया और शराब पीने के लिए 10/- रुपये देने के लिए कहा। मृतक ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। इस पर अपीलार्थी ने मृतक को थप्पड़ मारने के बाद छोड़ दिया। इसके बाद अपीलार्थी ने सिर हिलाकर कुलजीत को संकेत दिया। इसी बीच, अपीलार्थी ने अपनी जेब से चाकू निकाला और मृतक को चाकू दिखाते हुए उससे पैसे की मांग की। मृतक अपने कदम पीछे हटाने लगा। जैसे ही मृतक पीछे हटा, अपीलार्थी ने मृतक के पेट के बाईं ओर चाकू घोंप दिया और मृतक के शरीर से चाकू बाहर निकाल लिया। चाकू निकालने के

बाद, कुलजीत ने कहा कि काम पूरा हो गया है। इसके बाद तीनों आरोपी श्मशान घाट की ओर भाग गए। मृतक अपना पेट पकड़े हुए गयाराम सोनी के घर की ओर गया।

8. भिकमलाल सोनी (अभि.सा-2), जो गयाराम सोनी के पुत्र हैं, ने अभिकथन किया कि मृतक उनके घर के लिए घर की सेंटरिंग का काम कर रहा था। उस दिन, मृतक उनसे उनके घर पर मिला और कहा कि वह बाहर जा रहा है, लेकिन सेंटरिंग का काम आज पूरा कर लिया जाएगा। जब वह अपने घर में भोजन कर रहा था, उसने "बचाओ, बचाओ" की आवाज़ सुनी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि मृतक लथपथ हुआ दरवाजे के पास खड़ा था। इसके बाद मृतक उनके घर में प्रवेश कर आंगन (परछी) में लेट गया। उसने मृतक से घटना के बारे में पूछा, तो मृतक ने बताया कि उस पर चाकू से हमला किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. फकीरा राम यादव (अभि.सा-5) के साक्ष्य को देखते हुए प्रतीत होता है कि उसे अपीलार्थी का नाम भी ज्ञात नहीं था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-18) मृतक ने स्वयं दर्ज करवाई थी। आरोपियों के नाम इसमें उल्लिखित नहीं थे।

10. फकीरा राम यादव (अभि.सा-5) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसे अपीलार्थी का नाम नहीं पता था, लेकिन वह उसे चेहरे से जानता था। घटना दिनांक 05.06.1991 को लगभग 1.15 बजे दिन के उजाले में हुई थी। फकीरा राम यादव (अभि.सा-5) का अभिकथन दिनांक 05.06.1991 को दंड प्रक्रिया संहिता धारा 161 के तहत दर्ज किया गया, और उनके पुलिस कथन में अपीलार्थी का नाम उल्लेखित था।

11. सी.आर. नेताम (अभि.सा-7) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 14.06.1991 को उन्होंने अपीलार्थी और अन्य दोषमुक्त किए गए सह-आरोपीयों की पहचान कार्यवाही आयोजित की। पहचान कार्यवाही में फकीरा राम (अभि.सा-5) ने अपीलार्थी और अन्य

दोषमुक्त किए गए सह-आरोपीयों की पहचान की। उन्होंने पहचान मेमो (प्र.पी.-9) भी तैयार किया। फकीरा राम (अभि.सा-5) ने अभीसाक्ष्य दिया है उन्हें पहचान के लिए जिला जेल, दुर्ग बुलाया गया और उन्होंने सही ढंग से अपीलार्थी की पहचान प्र.पी.-9 के माध्यम से की।

12. **मलकानसिंह बनाम राज्य म.प्र. (2003) 5 एससीसी 746** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि :-

"16. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मुख्य साक्ष्य वह साक्ष्य है जो न्यायालय में पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और पहचान कार्यवाही साक्षी द्वारा न्यायालय में की गई पहचान की पुष्टि प्रदान करती है, यदि आवश्यक हो। हालांकि, न्यायालय को यह देखना होता है कि उस पहचान साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाए, जो पहचान कार्यवाही से पूर्व नहीं हुआ हो।वर्तमान मामले में अधीनस्थ न्यायालयों ने अभियोक्त्री के साक्ष्य को विश्वसनीय माना और इसलिए उसके साक्ष्य की पुष्टि की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे स्वतः विश्वसनीय पाया गया। हम अधीनस्थ न्यायालयों की निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाते। प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि अभियोक्त्री अपीलार्थीओं को नहीं जानती थी और किसी भी चरण में उन्हें झूठा फंसाने का प्रयास नहीं किया। अपराध दिन के उजाले में हुआ। अभियोक्त्री के पास अपीलार्थीओं की विशेषताओं को देखने का पर्याप्त समय था जिन्होंने क्रमशः उस पर हमला किया। बलात्कार से पहले, अपीलार्थीओं ने उसे धमकाया और डराया। बलात्कार के बाद भी उन्होंने उसे धमकाया और डराया। यह सब करने में समय लगा होगा। यह वह मामला नहीं है जहाँ पहचान करने वाले साक्षी ने केवल एक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

झलक ही देखी हो और वह भी अंधेरी रात में। अभियोक्त्री के पास उनके चेहरे याद रखने का कारण भी था क्योंकि उन्होंने गंभीर अपराध किया और उसे अपमानित किया। इसलिए उसके पास उनके कद-काठी को देखने का पर्याप्त अवसर था। वास्तव में, उसके आघातपूर्ण अनुभव के कारण, अपीलार्थीओं के चेहरे उसकी स्मृति में अंकित हो गए होंगे और उनकी पहचान में गलती करने की कोई संभावना नहीं थी।"

13. **<u>हीरा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2007) 10 एससीसी 175</u>** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि :-

"6. "16. जैसा कि इस न्यायालय ने मातृ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1971) 2 एससीसी 75 : 1971 एससीसी (क्रि) 391 अवधारित किया था, पहचान कार्यवाही मुख्य साक्ष्य नहीं होते। ये मुख्यतः इस उद्देश्य के लिए होते हैं कि जांच एजेंसी को यह आश्वासन मिले कि अपराध की विवेचना सही दिशा में हो रही है। पहचान का प्रयोग केवल न्यायालय में प्रस्तुत बयान की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। (देखें: संतोक सिंह बनाम इज़हार हुसैन (1973) 2 एससीसी 406: 1973 एससीसी (क्रि) 828)। पहचान कार्यवाही की आवश्यकता केवल तब उत्पन्न होती है जब अभियुक्त गवाहों को पहले से ज्ञात नहीं हों। पहचान कार्यवाही का उद्देश्य यह होता है कि साक्षी जो अपराध के समय अपराधियों को देख चुके हैं, उन्हें अन्य व्यक्तियों के बीच से बिना किसी सहायता या किसी अन्य स्रोत के पहचानना पड़े। यह परीक्षण उनकी सत्यता की जांच करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जांच के दौरान पहचान कार्यवाही आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य गवाहों की स्मृति की जाँच करना और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह निर्धारित करना है कि इनमें से कौन अपराध का चक्षुसाक्षी के रूप में पेश किया जा सकता है। पहचान प्रक्रिया केवल परीक्षण के स्वरूप की होती है, और इसलिए इसके लिए न तो संहिता और न ही साक्ष्य अधिनियम में कोई प्रावधान है। यह उचित होता है कि पहचान कार्यवाही अभियुक्त की गिरफ्तारी के तुरंत बाद आयोजित की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की पूर्व जानकारी या प्रभावित करने की संभावना समाप्त हो सके। यदि परिस्थितियाँ नियंत्रण से बाहर हों और कुछ देरी हो जाए, तो इसे अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जाएगा।

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. *हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय ने प्रकाश चंद सोगानी बनाम राजस्थान राज्य, क्रिमिनल अपील संख्या 92/1956, निर्णय दिनांक 15.01.1957 में स्पष्ट किया है कि सभी मामलों में पहचान का अभाव घातक नहीं होता। यदि आरोपी पहले से ही चेहरे से जनता हो, तो उसे पहचान के लिए पेश करना समय की बर्बादी होगी। हालांकि, यदि अभियोजन यह तर्क देता है कि साक्षी पहले से आरोपी को जानता है और परीक्षण नहीं कराता, और बाद में यह पता चलता है कि गवाहों को आरोपी पहले से नहीं जानता था, तो अभियोजन पक्ष को अपना मामला हारने का जोखिम उठाना पड़ सकता है"*

14. घटना दिन के उजाले में हुई थी और फकीरा राम (अभि.सा-5) के पास अपीलार्थी की पहचान करने के लिए पर्याप्त समय था। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मुख्य

साक्ष्य वह है जो न्यायालय में पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और पहचान कार्यवाही साक्षियों द्वारा न्यायालय में की गई पहचान की पुष्टि करती है। पहचान कार्यवाही में फकीरा राम (अभि.सा-5) ने सही ढंग से अपीलार्थी की पहचान की और न्यायालय में भी उन्होंने अपीलार्थी की पहचान की। इसलिए, फकीरा राम यादव (अभि.सा-5) का साक्ष्य न्यायालय को पूर्ण विश्वास प्रदान करता है। हमने फकीरा राम (अभि.सा-5) के साक्ष्य को ध्यानपूर्वक पढ़ा। उन्होंने विशेष रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दिन अपीलार्थी मृतक को गाली दे रहा था और मृतक से शराब पीने के लिए 10/- रुपये मांगता था। मृतक के इनकार करने पर, अपीलार्थी ने मृतक को थप्पड़ मारा और अपनी जेब से चाकू निकालकर उसे मृतक के सीने के पास वार किया। डॉ. आर.एन. पांडेय (अभि.सा-1) ने अभीसाक्ष्य दिया कि उन्होंने मृतक के सीने के दाहिने हिस्से में, वक्ष के स्तर पर चाकू के घाव पाए। उन्होंने यह राय दिया कि मृतक की मृत्यु का कारण सदमा और रक्तस्राव था, जो महत्वपूर्ण अंगों की चोटों के परिणामस्वरूप हुई। फकीरा राम (अभि.सा-5) का साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्यों द्वारा पूरी तरह पुष्ट होता है। उपरोक्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि फकीरा राम (अभि.सा-5) का अपीलार्थी को झूठा फंसाने का कोई उद्देश्य नहीं था और उनका साक्ष्य निर्णायक एवं तर्कसंगत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. संपूर्ण साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के उपरांत, हमें यह प्रतीत होता है कि फकीरा राम (अभि.सा-5), जो प्रत्यक्ष साक्षी हैं, का अभिसाक्ष्य पूर्णत: विश्वसनीय है और अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए आधार माना जा सकता है। अतः, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा फकीरा राम यादव (अभि.सा-5) के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराने का निर्णय इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. यह नहीं कहा जा सकता कि हर एकल चोट के मामले में हत्या का आशय नहीं माना जाएगा। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और उपयोग किए गए हथियार का

प्रकार भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने मृतक से शराब पीने के लिए पैसे मांगे और मृतक के इनकार करने पर, अपीलार्थी ने अपनी जेब से चाकू निकालकर उस पर हमला किया। उस हमले के कारण, मृतक का दायां फेफड़ा फट गया था और हृदय के दाएं गुहा पर भी कटने वाली चोट का निशान था। यह चोट मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। मृतक सुकालु राम को आई चोट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अपीलकर्ता ने चाकू का उपयोग काफी बलपूर्वक किया था और चोट शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर पहुंचाई गई थी। हमारा यह सुविचारित मत है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय है।

17. उपरोक्त कारणों के आधार पर, हमें अपील में कोई ठोस आधार नहीं मिलता। अतः यह निरस्त किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/- **सही/-**

सुनील कुमार सिन्हा **आर.एस. शर्मा**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amitesh Anand Rathore